भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 697
दिनांक 14 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए

दहेज प्रतिषेध अधिनियम का दुरुपयोग

697. श्री भैरों प्रसाद मिश्रः
क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को दहेज अधिनियम के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निरपराध लोगों की इस कानून के अंतर्गत उत्पीड़न से रक्षा करने के लिए उठाए गए प्रभावी उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरौ (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत 2014 में सूचित कुल 447 मामले, 2015 में 361 मामले और 2016 में 334 मामले झूठे मामले के रूप में साबित हुए। इसी तरह दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत 2014 में 298 मामले, 2015 में 293 मामले और 2016 में 148 मामले तथ्य या कानून की गलती के रूप में साबित हुए।

(ख) कानूनी प्रावधानों के दुरूपयोग, यदि कोई हो से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों में पर्याप्त सुरक्षोपाय उपलब्ध है। मंत्रालय विभिन्न कानूनों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करता है और जरूरत पड़ने पर प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।

*****